

sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [Placed in Library See No. LT-3694/70]

AUDIT REPORT, RAILWAYS, 1970, APPROPRIATION ACCOUNTS, RAILWAYS, 1968-69, ETC.

विल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

- (1) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद, 151 (1) के अन्तर्गत रेलवे का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1970 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [प्रंथालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—3736/70]
- (2) वर्ष 1968-69 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे, भाग 1—समीक्षा (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [प्रंथालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—3737/70]
- (3) वर्ष 1968-69 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे, भाग 2—विनियोग लेखे का ब्योरा (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [प्रंथालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—3738/70]
- (4) वर्ष 1968-69 के लिए रेलवे के ब्लाक लेखे (पूँजीगत विवरण सहित जिसमें ऋण सम्बन्धी लेखे शामिल हैं), तुलनापत्र तथा लाभ और हानि लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [प्रंथालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—3739/70]

STATEMENT *re.* AUDIT REPORT OF THE RUBBER BOARD, NOTIFICATION UNDER THE EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) ACT AND AUDITED ACCOUNTS OF THE TEXTILES COMMITTEE

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्रि (श्री राम सेवक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

- (1) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1967-68 की लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण [प्रंथालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—3695/70]
- (2) निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तली हुई मछली का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2138 में प्रकाशित हुए थे। [प्रंथालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—3696/70]
- (3) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वस्त्र समिति के वर्ष 1967-68 के लेखा परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [प्रंथालय में रख दिया गया देखिए संख्या LT—3697/70]

ANNUAL ACCOUNTS OF THE WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD 1968-69

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय मैं

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता है—

- (1) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 मार्च 1970 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [प्रयालय में रख दिया गया।] [बेल्सिए संख्या LT—3698/70]

- (2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। [प्रयालय में रख दिया गया।] [बेल्सिए संख्या LT-3699/70]

DIRECTION BY THE SPEAKER
UNDER THE RULES OF
PROCEDURE

SECRETARY : I beg to lay on the Table a copy of Direction 115C issued by the Speaker under the Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

COMMITTEE ON PRIVATE
MEMBERS' BILLS AND
RESOLUTIONS

SIXTY FOURTH REPORT

SHRI G. G. SWELL : (Autonomous districts) : I beg to present the Sixty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

STATEMENT *Re.* STRIKE ON THE
SOUTH EASTERN AND NORTH
EASTERN RAILWAYS

MR. SPEAKER : There is a statement By Shri Nanda, the Railway Minister. He can lay it on the Table.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : The railway men are on strike ..

SHRI J. M. BISWAS (Bankura) : In the South Eastern Railways lakhs of workers are on strike...

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : I beg to lay on the Table a statement regarding the strike of certain staff on the South Eastern and North-East Frontier Railways. [Placed In Library. See No. LT-3700/70]

13.67 hrs.

BUSINESS ADVISORY
COMMITTEE
FIFTY FIRST REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING & TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : I beg to move :

"That this House do agree with the Fifty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 28th July, 1970."

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Fifty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 28th July, 1970"

The motion was adopted

MOTION OF NO—CONFIDENCE IN
THE COUNCIL ON MINISTERS *Contd.*

MR. SPEAKER : The Prime Minister will speak at about 5 O'Clock and after that